



2026:AHC:171854

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27510 वर्ष 2026

रामजनी खान उर्फ रमजान खान

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : ओमर ज़मीन, सुधांशु श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री उमर ज़मीन और राज्य की ओर से एजीए श्री उमा शंकर मिश्रा के तर्क सुने और अभिलेख देखा।
2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 1087/2026 (बीएनएस की धारा 137(2), 87, 65(1) और पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4(2) के तहत, थाना बिल्सी, ज़िला बदायूँ) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।
3. सबसे पहले, एजीए ने बताया कि शिकायतकर्ता को सूचना भेज दी गयी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। कहा गया है कि प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता की बेटी और भतीजी (उम्र लगभग 14 और 15 साल) को आवेदक और एक अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गए थे; हालाँकि, पहली पीड़िता को बरामद कर लिया गया है और बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बयान में उसने कहा है कि वह आवेदक से प्यार करती थी और अपनी मर्जी से घर से निकली थी, उसने आवेदक से शादी की और वह उसके साथ पति-पत्नी की तरह रह रही थी। आगे यह भी कहा गया है कि पहली पीड़िता अनपढ़ है और कभी विद्यालय नहीं गई है, इसलिए उसकी उम्र में ज्यादा से ज्यादा दो साल का अंतर माना जा सकता है क्योंकि वह बालिग होने के करीब है। यह भी कहा गया है कि पीड़िता ने चिकित्सीय-विधिक जांच कराने से इनकार कर दिया है। यह भी बताया गया है कि आवेदक 11.1.2026 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आखिर में यह कहा गया है कि अगर आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, एजीए ने जमानत की मांग का ज़ोरदार विरोध किया लेकिन ऊपर बताई गई बातों को गलत नहीं ठहरा सके; हालाँकि, यह कहा गया है कि रेडियोलॉजिकल जांच के अनुसार पीड़िता नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र लगभग 15 साल है।

6. प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता की लगभग 14 और 15 साल की बेटी और भतीजी को आवेदक और एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है। हालांकि, पहली पीड़िता को बरामद कर लिया गया है और बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में उसने कहा है कि वह आवेदक से प्यार करती थी और अपनी मर्जी से घर से निकली थी। उसने आवेदक के साथ शादी की और वे पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। पीड़िता अनपढ़ है और कभी विद्यालय नहीं गई है। रेडियोलॉजिकल जांच में उसकी उम्र 15 साल पाई गई है; इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि उम्र के मामले में दो साल की छूट दी जा सकती है, जिससे वह बालिग होने की उम्र के करीब पहुंच जाती है। पीड़िता ने चिकित्सीय-विधिक जांच कराने से इनकार कर दिया है। आवेदक 11.1.2026 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम यूपी राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन इला 6765



मामले में इस न्यायालय की जमानत देने संबंधी दिशानिर्देश को देखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. इसलिए, यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

9. ऊपर बताए गए अपराध में शामिल आवेदक- **रामजानी खान उर्फ रमजान खान** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त किया जा सकता है।

11. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण की पुष्टि करेगा। संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड की भी पुष्टि करेगा।

12. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

13. जमानत देने की नीति रणनीति इन री: स्वप्रेरित रिट याचिका (क्रि.) संख्या 4/2021, फैसला 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

14 अगस्त, 2026

अभिषेक

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।